The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(MR. SPEAKER in the Chair)

Title: Regarding the Adjournment Motion on the situation in Uttar Pradesh State Assembly, triggered by the alleged directive by the Chief Minister to the MPs of Bahujan Samaj Party to contribute in the Party fund from the MPLAD fund.

श्री रामजीलाल स्मन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है।… (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): It is a total murder of Parliamentary Democracy....(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

...(Interruptions)

कृंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, हमने लोकतंत्र की हत्या का मुद्दा उठाया है। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have received notices of Adjournment Motion regarding the alleged irregularities in the utilisation of MPLADS funds and reported directive by the Chief Minister of Uttar Pradesh to contribute in the party fund from it, from Shri Ramji Lal Suman, Shri Shriprakash Jaiswal, Kunwar Akhilesh Singh, Shri Raghuraj Singh Shakya, Shri Ram Vilas Paswan, and Shri Chandranath Singh. These are the notices that I have received.

I have also received a notice from Shri Rupchand Pal regarding disinvestment of HPCL and BPCL. One more notice has been received from Shri Jagmeet Singh Brar. It is regarding threats of terrorist attack by the Lashkar-e-Toiba.

I have also received three notices from Shri Ramji Lal Suman, Kunwar Akhilesh Singh and Shri Raghuraj Singh Shakya. These are regarding suspension of Question Hour on the same subject.

Now, you are all aware that this issue is being discussed for the last two or three days. Whatever they wanted to say, the Government also made a statement yesterday.

...(Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): No statement was made.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please listen to me. Whatever they wanted to say, they have made a statement here. A letter was given to me. I have received the letter. On that letter, I have to say this.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is that the hon. Members wanted to present the letter to the House. Shri Chandra Shekhar also spoke on this. I want my opinion to go on the record. Shri Mulayam Singh also requested me to allow him to speak on this issue. I will allow him to speak on this issue.

Regarding the other notices, I want to say this.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me complete. Regarding the other notices, I am allowing those Members to speak during the 'Zero Hour.' About the two notices of Shri Rupchand Pal and Shri Jagmeet Singh Brar, I would allow them to make their observations during the 'Zero Hour."

On this notice of Adjournment Motion, I am allowing Shri Mulayam Singh Yadav to speak. But before he speaks, I want to give my opinion on this. Thereafter, he can speak.

Hon. Members may recall that during the Question Hour on 4th March, 2003, the issue of alleged remarks of the Chief Minister of Uttar Pradesh regarding the funds under the Members of Parliament Local Area Development Scheme was sought to be raised. On a request being made to me by Kunwar Akhilesh Singh to direct the Government to make a statement in the House on the matter, I had observed:

"The Minister of Parliamentary Affairs has heard the sentiments of the Members…. the Parliamentary

Affairs Minister may try to get the information on this issue. Whatever information you have, you can give it during the 'Zero Hour.'

The Minister of Parliamentary Affairs stated during the 'Zero Hour' that day that she had discussed the matter with the hon. Deputy Prime Minister and that after obtaining the full facts, he will make a statement in the House the next day. Yesterday, the hon. Deputy Prime Minister informed the House that he had received a communication from the Chief Minister of Uttar Pradesh in the matter and sought a direction from me whether it would be proper to share the information contained therein with the House.

On a demand being made by Shri Priya Ranjan Dasmunsi that the communication be laid on the Table of the House, the hon. Prime Minister and the former hon. Prime Minister, Shri Chandra Shekhar, expressed the view that it would not be proper to lay the said communication on the Table of the House. I have gone through the communication, a copy of which was made available to me by the hon. Deputy Prime Minister and I am convinced that its contents are sensitive in nature. I have examined the matter in the light of past precedents. According to Kaul and Shakdher, correspondence between Union and State Governments is normally not laid on the Table of the House. It is also well established that the Government is not bound to lay a document on the Table, if it considers it to be confidential. I have, therefore, decided to treat the matter of this nature as closed. Now Shri Mulayam Singh may speak.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह जी के बाद मुझे समय दीजियेगा।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच ऑफ प्रीवलेज का नोटिस 27 फरवरी को आपको दिया था। आपने कहा था कि जब राज्य से कुछ जवाब आयेगा, तब मुझे बोलने के लिये एलाव करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उस संबंध में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया । अगर सोमवार तक उत्तर नहीं आयेगा तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। I am waiting for the reply from the Government. If I do not get the reply on Monday and if Monday is not convenient to you, you can ask for Tuesday. I have no problem.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्मल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने और अपनी बात रखने का अवसर दिया। हालांकि मैं विधान सभा का सदस्य नहीं हूं लेकिन कुछ ऐसे सवाल उठे हैं, फिर भी मैं अपनी बात बाद में रखना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति गम्भीर है। उ. प्र. की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। वहां एक ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी गई है कि पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में कल जो कुछ हुआ, समाचार-पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ लिया होगा कि विपक्ष के नेता को 2 बजे तक बोलने नहीं दिया गया। फिर भी मैं इस मामले में विधान सभा के स्पीकर महोदय को बधाई देता हूं कि उनकी भूमिका कल अच्छी रही है…(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय,, उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्या हुआ Can it be discussed there? ...(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: The rights of the Members under the Constitution have been thwarted. The Constitution has been thwarted. Read it. ...(Interruptions). This is worst than a terrorist attack. The Constitution has been thwarted.

श्रीप्रकाश जायसवाल : इन लोगों ने संसद की मर्यादा का मजाक बनाया हुआ है…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I am only raising the point of order whether anything happening in the State Assembly can be discussed here? उनके स्पीकर ने क्या किया...… (व्यवधान)

श्री रामजीलाल स्मन : अध्यक्ष महोदय, क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी ये लोग बहस नहीं होने देंगे… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के अध्यक्ष नहीं हैं, आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस बात पर कल बी.जे.पी. विधायक असंवैधानिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हुये लेकिन माननीय मलहोत्रा जी आज जो कुछ कह रहे हैं, आप थोड़ा उन्हें निर्देशित करिये।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय,, उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्या हु - do not discuss that issue here.

MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh is a very senior Member. He will see that the proceedings of the Assembly are not disturbed.

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। संविधान की रक्षा करने का सब से पहला उत्तरदायित्व संसद का है लेकिन संविधान की रक्षा विधान सभा नहीं कर सकती है। इसलिये यह सवाल आपके सामने उठाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में बहस हो रही है, जो कुछ कहना है, वहां कहिये लेकिन मैं विधान सभा का सदस्य नहीं हूं, अत: मैं अपनी बात वहां नहीं रख सकता। मैं

आपसे बताना चाहता हूं कि वहां कुछ बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया और विपक्ष को 2 बजे तक बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार वहां स्पीकर महोदय ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह का असंवैधानिक काम हो रहा है, मैं इस में शामिल नहीं हूं। ि वपक्ष ने केवल 10 घंटे की बहस मांगी थी और वे 10 घंटे की बहस के लिये तैयार थे। उत्तर प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव पर 8 घंटे से कम की बहस कभी नहीं हुई, ऐसा लोक सभा में भी नहीं हुआ।

केवल इतना सवाल था। मुख्य मंत्री ने कहा कि हम किसी कीमत पर बहस नहीं चाहते। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर बहस नहीं चाहते हैं तो मैं आसन पर नहीं जाऊंगा। यह कितनी गंभीर बात है अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी और जब मुख्य मंत्री ने ज़िद की कि हम बहस नहीं चाहते तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर नहीं गए और एक अधिवाता गए जिन्हें, यहां सभापित कहते हैं। खबर यहां तक है, सच है या गलत है, हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर है कि उन्होंने इस्तीफा लिखा है और उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी घर से मंगवा ली।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या त्रिपाठी जी ने?

श्री मुलायम सिंह यादव: जी हाँ। त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दूँगा लेकिन असंवैधानिक काम में शामिल नहीं होऊंगा, न मैं अपने आसन पर जाऊंगा क्योंकि हम बहस चाहते हैं। विपक्ष अगर बहस चाहता है और इतनी बड़ी विधान सभा है - 10 घंटे नहीं तो 8 घंटे की बहस होनी चाहिए, चाहे 6 घंटें की ही हो। बहस हम कैसे रोक सकते हैं? विपक्ष के नेता को विधान सभा में 2 बजे तक बोलने नहीं दिया। यह गंभीर स्थिति है तथा असंवैधानिक है। हम जानना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री जी या मल्होत्रा जी से कि यह सवाल कहां उठाया जाए? जब विधान सभा में बोलने नहीं दिया जाएगा और लोक सभा में मल्होत्रा जी प्रतिबंध लगाएंगे, तो आप इस असंवैधानिक काम में, पाप में क्यों शामिल हो रहे हैं? मुझे खुशी है कि आपके विधायक इस पाप में शामिल नहीं थे। जब विपक्ष के नेता खड़े होते थे तो केवल बी.एस.पी. के सदस्यों ने उन्हें बोलने से रोका, उनके किसी सहयोगी दल के सदस्य ने यह काम नहीं किया क्योंकि वे मुख्यमंत्री से असंतुट थे। सभी बहस चाहते थे। लेकिन मुख्य मंत्री को डर था और डर सही था, मैं नाम नहीं लूँगा मगर कई दलों के लोग मुख्य मंत्री के खिलाफ अविश्वास के समर्थन में मतदान करने वाले थे और शायद विधान सभा में सरकार गिर जाती। उनको पता था।

तीसरी बात है कि क्या मुझ पर आरोप लगाकर मुख्य मंत्री निर्दोा साबित हो जाएंगी? जो भी कैसेट है, वह आपके सामने है। आपने उसे देख लिया होगा। मुख्य मंत्री को हटाकर उस कैसेट की सीबीआई से बाकायदा जांच होनी चाहिए यह हमारी मांग है। दूसरी मांग यह है कि हम पर आरोप लगाकर क्या मुख्य मंत्री निर्दोा साबित हो जाएंगी और हमारे उपर विवेकाधीन निधि का सवाल लगाया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर हमारे खिलाफ सीएजी से जांच कराई। सीएजी ने मुझे ईमानदार साबित कर दिया, इस बात की मुझे खुशी है और हाई कोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। उसके बाद कल्याण सिंह जी और इसी मुख्य मंत्री ने मेरी जांच कराई। उसके बाद भी हम निर्दोा साबित हए। चौथी बात यह है कि विधान सभा ने यह मामला पारित कर दिया।

में कहना चाहता हूँ कि हम अपना जवाब उ. प्र. विधान सभा में नहीं दे सकते हैं। हमारे उपर जो आरोप लगे हैं, कम से कम देश तो जाने कि विवेकाधीन निधि के मामले में हाई कोर्ट ने, सीएजी ने और दोनों मुख्य मंत्रियों ने जांच कराकर क्या कहा। वह विधान सभा में पास हो चुका है। उसके बाद जांच कराकर जो पत्र लिखा है वह केवल मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से लिखा गया है। आज हम जानना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच कराने में क्या आपित है? सवाल यह है कि अल्पमत की सरकार का प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी समर्थन क्यों कर रहे हैं, बचाव क्यों कर रहे हैं? आप बहस नहीं कराएंगे, लेकिन हम सब बोलना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से यह असंवैधानिक काम हो रहा है। उ. प्र. में अल्पमत की सरकार है। उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के ि वरूद्ध सीबीआई द्वारा जांच करानी चाहिए। क्या लालू जी पर अकेले सीबीआई की जांच होगी, उनको ही जेल में डाला जाएगा? क्या जार्ज फर्नान्डीज़ का ही इस्तीफा लिया जाएगा? गतों रात इस्तीफा लिया जाएगा? हमने तो नहीं लिया था, आपके प्रधान मंत्री जी ने लिया था। आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण को इसी बात पर हटा दिया। हम राट्रीय मोर्चा की सरकार में रक्षा मंत्री थे लेकिन हमने लालू जी को राय देकर इस्तीफा लिया था। इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और अगर नहीं देती हैं तो आज आपको वहां मंत्रिमंडल को बरखास्त करना चाहिए जिसमें पूरा पक्ष और विपक्ष आपका साथ देगा। इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि जो दोि। हैं और श्रट पए गए हैं, जिन्होंने श्रटाचार की सीमा लांघी है, इतनी लूट-खसोट हो रही है और खुलेआम जो सांसद निधि है, सरकारी खजाने का धन है, आप उसको कैसे लूटते चले जाएंगे? उ.प्र. में विकास का काम नहीं हो रहा है। सारे विकास कार्य एको से ला। उसके बाद पैसा पार्कों में लगा दिया। एक रुपया भी विकास के कारों में नहीं लगा। 92 हजार करोड़ रुपये उ. प्र. के सरकारी खजाने पर कर्ज का बोझ हैं। उत्तर प्रदेश के पिछड़ने के माने हैं कि हिन्द्स्तान पिछड़ जाएगा। आज वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। है शि एकड़ने के माने हैं कि हिन्द्सतान पिछड़ जाएगा। आज वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। है। देश है। कि सरकारी खजाने पर कर्ज

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जो कुछ औब्जेक्शनेबल होगा, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। प्लीज, बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्मल) : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रधान मंत्री पर पूरा विश्वास है, *… (व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के विरुद्ध क्या इस प्रकार से सदन में आरोप लगाए जा सकते हैं ? … (व्यवधान)

श्री मुलायम र्सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि वे इस सवाल को गम्भीरता से लेकर, सी.बी.आई. से जांच करा कर, ऐसी मुख्य मंत्री को बर्खास्त करें। …(व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी के विरुद्ध मुलायम सिंह जी ने जो टिप्पणियां की हैं वे रिकार्ड से निकाल दी जाएंगी।

..(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मल्होत्रा जी मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी डूबेंगे। आने दो अगले चुनावों को, साल, डेढ़ साल रह गया है, आपको पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस को भगवान ने सद्बुद्धि दी, तो आप बुरी तरह हारेंगे। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, बैठिए। मुझे प्रश्न-काल प्रारम्भ करना है।

श्री मुलायम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी को भगवान सदबुद्धि दे ताकि वे इतने बेईमान एवं भ्रट मुख्य मंत्री का बचाव न करें

बल्कि उन्हें तत्काल बर्खास्त करें।…(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि जिस मुख्य मंत्री को मुलायम सिंह जी भ्रट समझें, क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बर्खास्त कर दे या उसके विरुद्ध सी.बी.आई. की जांच कराए? …(<u>व्यवधान</u>)

श्री रामजीलाल स्मन : अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. की मुख्य मत्री के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे तो दूसरी पार्टी के लोगों को भी सुनना है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ः माननीय अध्यक्ष जी, कल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो घटना घटी, वह हिन्दुस्तान में आजादी के बाद पहली घटना होगी। …(व्यवधान)

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, सूप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें अभी तक उनको ईमानदार घोति नहीं किया गया है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से ही की जाती है। … (व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में वहां के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में विधान सभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ निन्दा प्रस्ता व पारित किया गया है और ये यहां मर्यादा की बात कर रहे हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रहलाद सिंह पटेल जी, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। इस समय मेरे सामने छत्तीसगढ़ का विाय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो घटनाएं घटी हैं, आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में इतनी शर्मनाक घटना शायद कभी नहीं घटी होगी। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। राज्यपाल के अभिभाग पर बहस होनी थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा का नियम है कि राज्यपाल के अभिभाग पर बहस के चार दिन बाद वोटिंग होनी चाहिए और धन्यवाद का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन कल अचानक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पीठासीन अधिकारी को बैठा कर जिस तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराना मंजूर किया था, कल उस पर बहस होनी थी। शाम को 5 बजे सारे विपक्ष के नेता स्पीकर साहब से मिले और उनसे आग्रह किया कि इस बहस पर कम से कम आठ घंटे बहस के लिए निश्चित किए जाएं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष ने उन्हें आश्र वासन दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराने के लिए समय जरूर दिया जाएगा, लेकिन आठ घंटे दिए जाएंगे या छः घंटे दिए जाएंगे, यह उन्होंने निश्चित नहीं बताया, लेकिन यह आश्वासन जरूर दिया कि पहले बहस होगी, फिर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मतदान कराया जाएगा।

महोदय, अचानक शाम को पीठासीन अधिकारी को बैठाकर जिस प्रकार से ध्विन मत से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कराया गया और राज्यपाल के अभिभााण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कराया गया और सारे के सारे बजट को पारित करा लिया गया, वोट आन एकाऊंट पास करा लिया गया, वह शर्मनाक स्थिति है। इस माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को और देश को क्या संदेश जा रहा है, हमारे देश की डैमोक्रेसी क्या इस तरीके से चलेगी ?

में माननीय मुलायम सिंह जी की बात से आधा सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश के स्पीकर महोदय इससे सहमत नहीं थे और वे चले गए, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। धमकी देना अलग बात है। यह बात सही है कि उन्होंने अपने नेतृत्व में यह सब नहीं होने दिया और वे चले गए, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश ि वधान सभा के अध्यक्ष इस्तीफा दे देते, तो ऐसी जालिम और बरबर सरकार को कल ही इस्तीफा देना पड़ता और देश में लोकतंत्र बच जाता।

महोदय, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बारे में जो बातें माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। ठीक है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कोई शोरगुल नहीं किया और वे असहत थे, लेकिन अगर वे यह कहते कि यह असंवैधानिक है और यह बात वे सब मिलकर स्पीकर से कहते कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

हमारे देश में लोकतंत्र बच जाता और ऐसी जालिम सरकार बर्खास्त हो जाती। महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह सत्तारूढ़ दल की बात नहीं है, इससे पूरे देश में जो संदेश गया है, आम जनता में यह चर्चा हो रही है कि शायद आने वाले समय में हमारे देश में संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। जब तक इस सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी। कि€ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Jaiswal, let me make it clear that the No-confidence Motion of the Assembly cannot be discussed in this House.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा कर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वहां असेम्बली में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर आपका एडजर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जी सर।

अध्यक्ष महोदय : आपका एडजर्नमेंट मोशन इस विाय पर नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आखासन दिया था कि वहां बहस हो रही है।… (व्यवधान) इसलिए हम खामोश होकर बैठ गए। अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह नहीं कि असेम्बली में क्या हुआ..

… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके एडजर्नमेंट मोशन पर आपको बोलने की इजाजत दी है। आप उस पर बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, हम न असेम्बली में बोल पाएं और न लोकसभा में बोल पाएं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके एडजर्नमेंट मोशन पर आपको बोलने की इजाजत दे रहा हं।

… (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, आप इस विाय की गंभीरता को देखें।…(<u>व्यवधान</u>) इससे पूरे देश का कितना नुकसान हो रहा है।…(<u>व्यवधान</u>) महोदय, सारा सिस्टम चरमरा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खात किए बगैर देश की जनता को सही संदेश नहीं जाएगा। देश के संविधान की गरिमा की रक्षा नहीं हो पाएगी।…(<u>व्यवधान</u>)

MR. SPEAKER: Shri P.H. Pandian.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, कृपया आप बैठ जाइए। मैं पिछले तीन दिनों से आपको इस विाय पर बोलने की इजाजत दे रहा हं।

… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, सदन का काम चलाना है या नहीं? मैंने आपके नेता को इजाजत दी और उन्होंने इस विाय पर बोला है। सभी के सामने विाय आ गया है। शिवराज बि. पाटील जी भी इस विाये पर बोलना चाहते हैं। आपका विाय महत्व का है या आपका खुद का बोलना महत्व का है। कृपा कर आप बैठ जाइए।

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Mr. Speaker, Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Jayalalitha was dismayed, distressed and expressed her anguish on 3rd March 2003 when 23 boats with 76 fishermen from Rameshwaram base were attacked on the high seas. The Sri Lankan fishermen attacked the Tamil Nadu fishermen on the high seas and later they were detained by the Sri Lankan Police. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: One minute Shri Pandian. I am going to permit you. Shri Shivraj V. Patil and Shri Somnath Chatterjee would like to speak on the issue raised by Shri Mulayam Singh Yadav. I will permit them to speak and thereafter you can speak.

SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Mr. Speaker, Sir, I hail from that constituenc, Rameshwaram Base, So I should speak. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Therefore, I am going to permit you to speak on that. Please sit down.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me the floor. I am very well aware of the fact that what happens in the State Legislature need not be discussed on the floor of the House.

MR. SPEAKER: Thank you.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I will bear that in mind and I will make my submission.

Sir, the Governor's Address was presented to the House. It should have been discussed and the Motion thanking the Governor should have been passed. If the Motion is not passed, then the Government has to resign. The Budget was represented. Then, the cut motions can be given. If one rupee cut motion is passed, the Government has to resign. Then, there was No-confidence Motion moved by one of the Opposition parties there and that No-confidence Motion should have been discussed. It should have not only been discussed but also it should have been put to the vote. Then, by division, it could have been found out as to whether the No-confidence Motion was supported by sufficient number of Members in the House or opposed by sufficient number of Members in the House. All these issues are the issues which go to the root of the Constitution. If the constitutional provisions are not observed on the floor of the House, is it not the breakdown of the Constitution? ...(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Absolutely.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If it is a breakdown of the Constitution, are we, sitting in Parliament, not entitled to ask the Government to impose the President's Rule there?

On technical ground, what is happening there should not be discussed here. If we are not discussing the

breakdown of the Constitution in UP also and that too in the State Legislature, we will not be able to protect our Constitution, we will not be having a rule of law there, and we will be having a rule whereby arbitrary decisions are taken by those who are in power over there.

Now, this is the moot point. This is the most important point and if the Parliament, which is at the apex, is not taking note of these facts, it would be very difficult to maintain law and order in any of these States. If the Executive commits a mistake, or if a legislature commits a mistake and if they go against the Constitutional provisions, that issue should be discussed on the floor of the House and this Government should be asked to take appropriate action to see that the Constitution is protected. This is the only submission that I want to make.

MR. SPEAKER: Shri Shivraj Patil, will you please advise me on a device that is to be used for this?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the Motion would be that there is a Constitutional breakdown in Uttar Pradesh and that Motion shall be discussed on the floor of the House.

MR. SPEAKER: Let somebody move a Motion. Let the Business Advisory Committee fix up a date. Then I can understand. But, by bringing in an Adjournment Motion and taking the time of the Question Hour may not be proper.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That is right, Sir.

MR. SPEAKER: You can bring in a Motion and let the Business Advisory Committee accept it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May I have the attention of the hon. Ministers? Sir, I have myself been raising every time about the danger of crossing the line. But Sir, here I am only referring to what happened in this House. Sir, you have, in your kind wisdom requested the Government or suggested to the Government that if they have anything to say, they should come and tell in response to what has happened yesterday or day before yesterday regarding the utilisation of funds.

Now, the hon. Deputy Prime Minister came, in the presence of the hon. Prime Minister, and he stated that the letter that he has received from the Uttar Pradesh Government contains certain things which should not be read out. Therefore, he did not read out that. But, what is the Government's response to the situation that has developed there or is developing there? There has been no statement from the Government. What does the Central Government propose to do in this matter? The money allocated by the Parliament of India is not being --allegedly --utilised properly, allegations and counter allegations have been made.

A very respected hon. Member of the Parliament of this very House, Leader of our esteemed friend Shri Mulayam Singh Yadav, against him allegations are being made. Shall we sit here completely quiet because it pertains to some State? I am not going into the State's activity, but the Parliament has already got itself involved. Therefore, it is the duty of the hon. Prime Minister and the hon. Deputy Prime Minister to come and tell us, pursuant to your earlier directions as to what is the Government's response to the situation that has developed there. Therefore, I am not asking to pass our judgement on what has happened there. Shri Mulayam Singh Yadav has said that. What he has said, even if that is correct -- and I take it to be correct when it is coming from him -- that the hon. Speaker there even refused to preside over the House, that is a matter to be discussed there. But, I demand that a statement should come from the Government with regard to the whole issue including the issue of Constitutional breakdown, issue of break down of Constitutional machinery, which Shri Shivraj V. Patil has raised. Therefore, it is vital that the Government should take the House into confidence.

डॉ. रघ्वंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं भी खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कब खड़े नहीं होते हैं, कम से कम मुझे यह तो बताइये।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जब इस विाय पर कोई मोशन आये, आपने कहा कि तब एक स्ट्रक्चर डिबेट हो सकती है। ऐसे मामलों पर स्ट्रक्चर डिबेट हो जाये, यह बिल्कुल मुनासिब बात है। टेप का मामला आया, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। उसके बारे में सभी को अपनी-अपनी राय रखने का अधिकार है। परन्तु जो बात यहां कही जा रही है कि अगर किसी जगह कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हुआ है तो उसे देखने का कोई तरीका तो होगा। हमने अपनी पार्टी के तीन एम.पीज. वहां जाकर पता करने और रिपोर्ट देने के लिए वेस्ट बंगाल में भेजे, क्योंकि वहां बलात्कार हुए, वहां पर रेप हुए। वहां से आकर उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहां कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हुआ है, उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दीजिए - Can we dismiss the Government? इसी बात पर उन तीनों के खिलाफ वहां की गवर्नमेंट ने धारा 144 में, I am only answering on the procedure about which you are asking. वहां की गवर्नमेंट ने उन एम.पीज. के खिलाफ केस कर दिया, जो तीन मैम्बर वहां गये थे।वि€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : तब क्या आप लोग वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाये थे?… (<u>व्यवधान)</u>

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: बिहार में टोटल कांस्टीट्यूशनल ब्रेक टाउन है। कोई झगड़ा चाहे बिहार में हो या दूसरी जगह हो, मैं अपोजीशन से पूछना चाहता हूं, अगर आप यह कह दें कि किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के चार्जेज होने पर सैण्ट्रल गवर्नमेंट सी.बी.आई. को केस दे दे, अगर ये प्रिपेयर्ड हों और कहें कि जिस किसी के खिलाफ चार्जेज हैं, सीधे सी.बी.आई. को वह केस दे दें, चाहे वह वीरमद्र सिंह जी का हो या किसी अन्य का हो, Are they prepared for it? ये चाहते क्या हैं कि जो इनको सूट करता है, उसे तो कर दो…(ख्यवधान)

डॉ. रघवंश प्रसाद सिंह: यही आपने बिहार में किया है।…(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गम्भीर मामला है, इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके बावजूद विजय कुमार मल्होत्रा जी ऐसी बात कह रहे हैं। हम सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहे हैं। पुरे तथ्य आपके पास हैं।ब€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुमन जी, प्लीज सुनिये, मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, मैं आपसे और अखिलेश जी से कहूंगा कि आपको बोलने का जितना अधिकार है, उतना अधिकार मल्होत्रा जी को भी है। आपको यदि वह पसन्द नहीं है, वे जो पाइंट बता रहे हैं, यह ठीक है कि एक जैसा कानून सभी के लिए हो, इसमें क्या गलत बात है। The point that he is raising is correct. Let there be a rule for all the Chief Ministers.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am only asking the major Opposition Party....(Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: That is the rule of law.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी शिवराज वि. पाटिल जी ने यह बात कही कि अगर कहीं कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाये तो क्या यह हाउस चुपचाप रहेगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर कोर्ट में जब केस चल रहा हो तो क्या उस मामले को हम सी.बी.आई. को भेज दें, क्या हमें यह पावर है और हमें ऐसा करना चाहिए? अगर वहां या किसी और जगह इस तरह की बात हो, जो इनको सूट करता है, वह तो सरकार यहां कर दे और जो सूट नहीं करता हो, उसे न करें। सारे लीडर्स के साथ बैठकर आप तय करिये कि हाउस में क्या डिस्कस होगा, क्या नहीं होगा।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : मैं भी इस सब्जैक्ट पर बोलना चाहता हं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोला कि मैं आपको इजाजत दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो इस विाय पर चर्चा तो चालू रहेगी, लेकिन जिनके नोटिस नहीं हैं, उनको मैं इजाजत नहीं देना चाहता। वे लोग जीरो ऑवर में बोलेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI P.H. PANDIAN: Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu had expressed her anguish on 3rd March, 2003.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Pandian, I am permitting him to speak. यह क्वैश्चन डिस्पोज ऑफ होने के बाद, मैं क्वश्चन ऑवर ही शुरू करूंगा। Those who have not given the notice can speak in the 'Zero Hour'.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन रोज से उत्तर प्रदेश का सवाल उठ रहा है। यहां सवाल उठाया गया कि यू.पी. के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है, जो टेप में रिजर्व है, कि तमाम माननीय सांसदों को इतना देना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने इस सदन का अपमान किया है। उस पर यहां विचार होना चाहिए। इसी सिलिसले में गृहमंत्री जी ने कहा कि मैं बयान दूंगा और कल ही पोस्ट ऑफिस की तरह एक चिट्ठी लेकर वे चले आये और वही बयान पढ़ा। यह उन्होंने डािकया वाला काम किया।…(व्यवधान) सरकार को इसमें निर्णय देना चाहिए।…(व्यवधान) उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि विधान सभा में वह बहस हो जायेगी, इसिलिए यहां बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन विधान सभा में भी बहस नहीं हो पाई और कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया। इसीलिए अब सदन में या लोक सभा में वह सवाल नहीं उठेगा तो फिर क्या संवैधानिक प्रावधान की धिज्जयां नहीं उड़ाई जा रही हैं, इस पर सदन में विचार नहीं होगा तो कहां विचार होगा। यह तमाम सदन के अपमान का मामला है, भ्रटाचार का मामला है और कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन का मामला है। इस पर सरकार निर्णय करे, नहीं तो सदन में पूरी बहस कराई जाये।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के नोटिस हैं। हम लोगों का कार्यस्थगन प्रस्ताव है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले आप बैठिये। मैंने राशिद अलवी जी को इजाजत दी है, आप उनको सुनिये।

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष जी, मैं इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने बहुत ठीक बात कही है कि अगर कोई अन-कांस्टीट्यूशनल काम हो रहा है तो उसका कोई प्रोवीजन होना चाहिए। लेकिन अभी मुलायम सिंह जी ने असेम्बली के स्पीकर की, कल की घटना के लिए बहुत तारीफ की।… (Interruptions)

स्पीकर ने यू.पी. असैम्बली के लिए स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो बोलने के लिए लाउड-स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स हैं, उनको छोटा करवा दिया है, शीशे के टेबल्स को हट वा दिया है तािक कोई मार न सके। ये तमाम इन्तजामात किए हैं तािक वहां आपस में मारधाड़ न हो सके। यह स्पीकर का ही स्टेटमेंट है। यह मारधाड़ का खतरा किन एमएलएज से था, यह स्पीकर से पूछ लेना चािहए। … (<u>व्यवधान</u>)

कुंवर अखिलेश सिंह : पूछ लिया जाए।…(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: यू.पी. के अंदर मेरी जानकारी के मुताबिक जो यू.पी. की मुख्य मंत्री ने कहा, वह डिसकशन के लिए तैयार थीं और वोटिंग के लिए भी तैयार थी लेकिन इस तरह के हालात असैम्बली के अंदर कर दिये गये हैं कि उस असैम्बली को कोई चलाना नहीं चाहता।…(<u>व्यवधान</u>) मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इनके रवैये से, जैसा ये लोक सभा में करते हैं, अन्दाजा कर लीजिए कि असैम्बली में क्या करते होंगे?…(<u>व्यवधान</u>) इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता।…(<u>व्यवधान</u>)

MR. SPEAKER: Let me tell him.

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से आपका दृटिकोण हमारे सामने आया है। आप जब यहां नहीं थे तो पूरे तीन दिन आपके दोनों सदस्य यहां बोल रहे थे और यही विाय वे आज रखेंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ नियमन करना चाहिए। वे दोनों बोलना चाहते हैं। दोनों के नोटिस हैं। मैं उन्हें ज़ीरो ऑवर में इजाजत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी यह प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है।